

अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति

प्रलिस के ललल:

[अनुच्छेद 142](#), [अनुच्छेद 143](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [राज्यपाल](#), [अनुच्छेद 200](#) और [201](#), [केंद्रीय मंत्रपरिसद](#), [अनुच्छेद 145\(3\)](#), [मूल अधिकार](#), [नदलशक ततत्व](#), [कॉलेजियम परणाली](#), [रदल](#)

मेन्स के ललल:

भारतीय संवधलन के अनुच्छेद 143 का महत्त्व, वधलयक पारतल करने में कार्यपालकल और न्यायपालकल के बीच संघर्ष, केंद्र-राज्य संघीय तनाव, शक्तलयों का पृथककरण

[स्रोत: द हदु](#)

चर्चा में क्यल?

राष्ट्रपतलने भारतीय संवधलन के [अनुच्छेद 143](#) का प्रयोग करते हुए **14 संवैधानकल प्रश्नल** पर परामर्शदायी राय हेतु [सर्वोच्च न्यायालय](#) को नरदलेशतल कयल है ।

- यह नरदलेश हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के उस नरलणय के बाद दयल गयल है, जसलमें [राज्यपाल](#) [2023](#) में [अनुच्छेद 142](#) का प्रयोग करते हुए राज्य वधलनसभालों द्वारा पारतल वधलयकों पर कार्यवाई करने के लयल [राज्यपालल](#) और राष्ट्रपतलके समयवधनरदलारतल कल गई थी ।
- इस संदरभ में **14 प्रमुख प्रश्नल** पर वचलार करने का नरदलेश दयल गयल है, जो मुख्य रूप से [अनुच्छेद 200](#) और [201](#) से संबंधतल हैं तथा वधलयक के अधनलयम बनने से पहले कार्यकारी कार्यवाइयल कल न्यायसंगतता से संबंधतल हैं ।

President's 14 Questions to Supreme Court

<ul style="list-style-type: none"> ● What are the constitutional options before a Governor when a Bill is presented to him under Article 200? ● Is the Governor bound by the aid & advice of the Council of Ministers while exercising the options available with him when a Bill is presented before him? ● Is the Governor's constitutional discretion under Article 200 justiciable? ● Is Article 361 an absolute bar to the judicial review in relation to the actions of a Governor under Article 200? ● In the absence of a constitutionally prescribed time limit, and the manner of exercise of powers by the Governor, can timelines be imposed and the manner of exercise be prescribed through judicial orders? ● Is the exercise of constitutional discretion by the President under Article 201 justiciable? ● In the absence of a constitutionally 	<ul style="list-style-type: none"> ● Are the decisions of the Governor and the President under Article 200 and Article 201, respectively, justiciable at a stage anterior into the law coming into force? Is it permissible for the Courts to undertake judicial adjudication over the contents of a Bill, in any manner, before it becomes law? ● Can the exercise of constitutional powers and the orders of/by the President /Governor be substituted in any manner under Article 142? ● Is a law made by the State legislature a law in force without the assent of the Governor granted under Article 200? ● In view of the provision to Article 145(3), is it not mandatory for any bench of the Supreme Court to first decide whether the question before it involves substantial questions of law as to the interpretation of the Constitution and to refer it to a bench of minimum five Judges?
<p>prescribed timeline and the manner of exercise of powers by the President, can timelines be imposed and the manner of exercise be prescribed through judicial orders?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Is the President required to seek advice of the Supreme Court by way of a reference under Article 143 and take the opinion of the Supreme Court when the Governor reserves a Bill for the President's assent or otherwise? 	<ul style="list-style-type: none"> ● Are the powers of the Supreme Court under Article 142 limited to matters of procedural law or Article 142 extends to issuing directions which are contrary to or inconsistent with existing substantive or procedural provisions of the Constitution or law in force? ● Does the Constitution bar any other jurisdiction of the Supreme Court to resolve disputes between the Union Government and the State Governments except by way of a suit under Article 131 of the Constitution of India?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या है?

- अनुच्छेद 143 (सलाहकार क्षेत्राधिकार) भारत के राष्ट्रपति को किसी भी कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है, जो सार्वजनिक महत्त्व का है और जिसके उठने की संभावना है या जो पहले ही उठ चुका है।
 - यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को स्थापित करता है, जो केवल राष्ट्रपति के लिये है।
- संदर्भित प्रश्नों के प्रकार:
 - अनुच्छेद 143 (1): राष्ट्रपति किसी भी वधि या तथ्य के प्रश्न को, जो सार्वजनिक महत्त्व का हो या जिसके उठने की संभावना हो, सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इंकार कर सकता है।
 - उदाहरण के लिये, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 में [राम जनमभूमि मामले](#) के संबंध में अपनी राय देने से इंकार कर दिया था।
 - अनुच्छेद 143(2): यह राष्ट्रपति को संविधान-पूर्व किसी भी संधि, समझौते, वचन, सनद या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न विवादों को राष्ट्रपति को संदर्भित करने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी राय राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है।
- सलाह की प्रकृति: दोनों मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल परामर्शात्मक है, न कानूनात्मक घोषणा।

- इसलिये, यह राष्ट्रपति के लिये **बाध्यकारी नहीं** है; वह इस राय का पालन भी कर सकता है और नहीं भी।
- हालाँकि, यह सरकार को किसी मामले पर नरिणय लेने हेतु **आधिकारिक कानूनी राय** प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रपति की शक्त के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह **केंद्रीय मंत्रपरिषद की** सलाह के आधार पर किसी विधि या सार्वजनिक महत्त्व के तथ्य के प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय के लिये प्रेषित कर सकते हैं।
 - अनुच्छेद 145 (3) के अनुसार ऐसे संदर्भों की सुनवाई **कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी**।
- ऐतिहासिक संदर्भ: अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्शात्मक कषेत्राधिकार की उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम, 1935 से हुई है, जिसके अंतर्गत गवर्नर-जनरल को संघीय न्यायालय को कानूनी प्रश्नों के संदर्भ में भेजने की अनुमति थी।
 - **कनाडा का संविधान** अपने सर्वोच्च न्यायालय को कानूनी मत देने की अनुमति देता है, जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय शक्ति पृथक्करण की सख्ती बनाये रखने के लिये परामर्शात्मक मत देने से बचता है।
- ऐसे संदर्भों के पछिले उदाहरण: अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा लगभग 15 संदर्भ भेजे गए हैं। कुछ ऐतिहासिक मामले इस प्रकार हैं:
 - **दिल्ली कानून अधिनियम मामला (1951):** इसने प्रतनिधिक विधायन (Delegated Legislation) की सीमा को परभाषित किया।
 - **केरल शिक्षा विधायक (1958):** नरिदेशक सदिधातों के साथ **मौलिक अधिकारों का** सामंजस्य स्थापित किया।
 - **बेरुबारी मामला (1960):** यह नरिणय दिया गया कि कषेत्रीय हस्तांतरण के लिये **संविधानिक संशोधन** आवश्यक है।
 - **केशव सहि केस (1965):** इसने विधायी विशेषाधिकारों की व्याख्या की।
 - **राष्ट्रपति चुनाव मामला (1974):** इसमें कहा गया कि राज्य विधानसभाओं में **रक्तियों के बावजूद** चुनाव कराए जा सकते हैं।
 - **तृतीय न्यायाधीश मामला (1998):** न्यायिक नयिकृतियों के लिये **कॉलेजियम प्रणाली** की स्थापना की गई।
- वर्तमान संदर्भ में प्रमुख मुद्दे: यह इस बारे में मुद्दा उठाता है कि न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपालों पर **समयसीमा लागू** कर सकते हैं, जो संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है (विशेषकर अनुच्छेद 200 एवं 201 के अंतर्गत)।
 - यह अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय प्रावधान) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की सीमा पर भी प्रश्न उठाता है।
- सलाहकार संदर्भ के माध्यम से नरिणय पलटने की शक्ति: वर्ष 1991 के **कावेरी जल विवाद** न्यायाधिकरण के अनुसार, अनुच्छेद 143 का उपयोग स्थापित न्यायिक नरिणयों की समीक्षा करने या उन्हें पलटने के लिये नहीं किया जा सकता है।
 - हालाँकि, सरकार अभी भी **2023** नरिणय को चुनौती देने के लिये समीक्षा या उपचारात्मक याचिकाएँ दायर कर सकती है।

राष्ट्रपति संदर्भ प्रणाली का महत्त्व क्या है?

- भूमिकाओं की संविधानिक व्याख्या: यह राष्ट्रपति और राज्यपालों की संविधानिक भूमिकाओं को स्पष्ट कर सकता है तथा यह भी स्पष्ट कर सकता है कि न्यायिक गैर-समयबद्ध कार्यकारी कार्य न्यायिक नगरिणी के अधीन हो सकते हैं।
- लोकतांत्रिक ढाँचे की पुनः पुष्टि: यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को पुनः परभाषित करने का अवसर प्रदान करता है तथा अतिक्रमण को रोककर संविधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
- प्रक्रियागत नरिणयिता: यह अंतर-सरकारी मामलों में प्रक्रियागत अनरिणयिताओं का समाधान करता है और भविष्य में संस्थागत घर्षण को हल करने के लिये दिशानरिदेश स्थापित करने में सहायता प्रदान कर सकता है।
- सुचारू संघीय कार्यप्रणाली: संघीय ढाँचे में, यह संदर्भ केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार कषेत्र की सीमाओं को परभाषित करने में सहायता प्रदान करता है तथा विवाद समाधान के लिये स्पष्ट कानूनी ढाँचे के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रपति संदर्भ प्रणाली में चुनौतियाँ क्या हैं?

- गैर-बाध्यकारी प्रकृति: सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 143 की सलाह राष्ट्रपति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जिससे इसका व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो जाता है और इसकी प्रभावशीलता पर संदेह उत्पन्न होता है।
- संभावित राजनीतिकरण: यह प्रणाली राजनीतिक दुरुपयोग के जोखिम से जुड़ी होती है, विशेष रूप से जब सत्तारूढ़ सरकार विवादास्पद नरिणयों को वैध सदिध करने या प्रतिकूल नरिणयों पर प्रश्न उठाने के लिये इसका उपयोग करती है। इससे न्यायपालिका की नरिणयिता प्रभावित हो सकती है तथा उसे राजनीतिक विवादों में शामिल किया जा सकता है।
- संदर्भ के लिये असस्पष्ट मानदंड: संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि "सार्वजनिक महत्त्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर" कसि माना जाएगा। इस कारण कार्यपालिका को अत्यधिक विकास अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिससे कभी-कभी ऐसे मामलों को भी संदर्भित किया जा सकता है जिनका वास्तविक संविधानिक महत्त्व नहीं होता।
- संस्थागत तनाव: संदर्भ अक्सर न्यायपालिका-कार्यपालिका के विवादों से उत्पन्न होते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है और विशेष रूप से स्थापित नरिणयों की पुनः समीक्षा के समय न्यायिक स्वतंत्रता दुर्बल हो सकती है।
- प्रतिक्रिया के लिये समय-सीमा का अभाव: संविधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति संदर्भ पर प्रतिक्रिया देने के लिये कोई नरिणयिता समय-सीमा नरिधारित नहीं की गई है, जिससे आवश्यक मामलों में देरी हो सकती है और शासन तथा नीतिगत स्पष्टता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

नरिणय

अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति शक्ति एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास को दर्शाता है। यह न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं, अनुच्छेद 142 के अधिकार-क्षेत्र और कार्यपालिका की कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा योग्यताओं को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह शक्तियों के पृथक्करण को आकार देता है और अधिक संवैधानिक स्पष्टता के द्वारा भारत की संघीय लोकतांत्रिक संरचना को सुदृढ़ करता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: अनुच्छेद 143 की संवैधानिक अस्पष्टताओं के समाधान में भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा किये गए संदर्भों के माध्यम से यह किस प्रकार विकसित हुआ है, स्पष्ट कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. केन्द्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का नरिणय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अन्तर्गत आती है? (2014)

- (a) परामर्शी अधिकारिता के अन्तर्गत
- (b) अपीली अधिकारिता के अन्तर्गत
- (c) मूल अधिकारिता के अन्तर्गत
- (d) रटि अधिकारिता के अन्तर्गत

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न. क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह 'नरिंतरण एवं संतुलन' के सिद्धान्त पर आधारित है? व्याख्या कीजिये। (2019)